भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5063
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **वास्तविक-समय पर मूल्य संबंधी जानकारी के लिए 'एगमार्कनेट'**

5063. श्री कुंदुरु रघुवीरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना में मिर्च और साइट्रस उत्पादों से संबंधित बाजारों, विशेषकर नलगोन्डा जिले के किसानों को सेवा देने वाले बाजारों को वास्तविक-समय पर मूल्य की जानकारी के प्रसार के लिए 'एगमार्कनेट' से जोड़ा गया है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मिर्च और मीठे नींबू (साइट्स) जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से समय पर बाजार मूल्य की अद्यतन जानकारी और मांग के रुझान प्राप्त हों;

(ग) क्या किसानों के लिए मूल्य निर्धारण और बाजार पहुंच में सुधार लाने के लिए 'एगमार्कनेट' को राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा नलगोन्डा जैसे जिलों में बाजार सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने और बागवानी करने वाले किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत एगमार्कनेट पोर्टल कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को एकीकृत करके किसानों को मूल्य संबंधी सूचना प्रदान करता है। देश भर में मूल्य संबंधी सूचना प्रदर्शित करने के लिए कुल 4,320 मंडियों को एगमार्कनेट पोर्टल से जोड़ा गया है। ये बाजार 48 घंटों के भीतर मूल्य एवं आवक संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सरकार ने किसानों को मंडी डेटा, मूल्य और आवक की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एगमार्कनेट 2.0 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है।

तेलंगाना में 247 बाजार केंद्रों को जोड़ा गया है, जिनमें से 31 नालगोंडा जिले में स्थित हैं जो मिर्च और खट्टे फलों (मीठा नींबू आदि) के बाजार से संबंधित हैं।

(ग): जी हां, मूल्य निर्धारण और बाजार पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एगमार्कनेट को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

(घ): सरकार ने बागवानी किसानों के लिए बाजार सूचना प्रणालियों को सुदृढ़ करने और मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं:

(i) सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआईएस) स्कीम के अंतर्गत शामिल न की गई कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए पीएम-आशा स्कीम के एक घटक के रूप में बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित करती है। एमआईएस का उद्देश्य उच्चतम आवक अवधि में बंपर फसल होने पर जब कीमतें आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाती हैं तब किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचने से बचाना है। वर्ष 2024-25 से, सरकार ने भावांतर भुगतान स्कीम (पीडीपी) का एक नया घटक शुरू किया है, जिसमें कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) में ट्रेडेड फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और किसानों को प्राप्त बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक उनके भंडारण और परिवहन के लिए दी जाती है।

(ii) समग्र क्षेत्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन, जिसमें मूल्य प्राप्ति में सुधार के लिए फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर और विपणन सुविधाओं के लिए सहयोग शामिल है।
